न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मनोज, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 13/2023 **GCMS No. 2023/26**

प्रार्थी

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. गंगादेवी पत्नि बोदूराम चेनाराम भंवरलाल रामपाल श्रवणराम पि. बोदूराम गोरधन भंवरलाल पि. लादूराम जेठाराम पुत्र छगनाराम जाति जाट निवासीगण कुचामनसिटी

आदेश

दिनॉक :– 14.07.2023

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक परिशिष्ट–"ए" व मौका पर्चा जिसमे सम्बन्धित खातेदार की सहमति के हस्ताक्षर/अंगूष्ठ निशान सहित एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार **ग्राम टोरड़ा पटवार मण्डल रूपपुरा टोरडा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1113/296 रकबा 0.34 हैक्टर में से 0.0064 हैक्टर में** मौके पर रास्ता चालू है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नही है। सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार कुचामनसिटी ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है।

संबंधित खातेदार चेनाराम की ओर से श्री भीकमचन्द अधिवक्ता उपस्थित आये, जिन्होने से जवाब हेतु समय चाहा, पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नही किया, जिससे जवाब अवसर बन्द किया जाता है, खातेदार भंवरलाल पुत्र लादूराम जाट कुचामनसिटी की ओर से श्री बोदूराम अधिवक्ता उपस्थित आये, जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल उपलब्ध है। खातेदार गंगादेवी पत्नी बोदूराम, भंवरलाल रामपाल श्रवणराम पि. बोदूराम, गोरधन पुत्र लादूराम जेठाराम पुत्र छगनाराम जाति जाट कुचामनसिटी बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

अप्रार्थी वकील बोदूराम ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त प्रकरण में पटवारी हल्का ने मौके पर न जाकर कार्यालय में बैठे बैठे ही मौका रिपोर्ट तैयार की है जिस पर उपस्थित रूबरू मौतबिरान के हस्ताक्षकर करवाये गये है, जबकि राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार हर मौका रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक या तहसीलदार द्वारा मौके पर उपस्थित होकर बनाई जानी आवश्यक है, मौका रिपोर्ट सहखातेदारो से प्रार्थी ने मिलीभगत कर मनगढ़ंत रिपोर्ट अपने अधीनस्थ कर्मचारियो से तैयार करवाई है जिसकी अप्रार्थी को कोई जानकारी नही दी गई है, जो रिपोर्ट में बताया गया है उक्त जगह पर वर्तमान में कोई चालू रास्ता नही है, अतः मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाई जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात [illegible] किया गया। प्रकरण प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प में तैयार [illegible] है तथा मौके पर जाकर ही संबंधित पटवारी हल्का निरीक्षक भू.अ.तहसीलदार द्वारा तैयार कर ही प्रस्तुत किया गया है, मौका रिपोर्ट में प्रकरण उपरोक्त के द्वारा रास्ता बाबत तैयार कर ही प्रस्तुत किया गया है, इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:20:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब मनगढंत तथ्यों के आधार पर किया गया है, पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण नही है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि खसरा नम्बर 1119/296 में 0.0064 हैक्टर पर वर्तमान में मौके पर प्रस्तावित भूमि पर रास्ता चालू है व ग्रेवल्ड सड़क बनी हुई है।

इस प्रकार यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्देशित किया जाता है कि **ग्राम टोरड़ा पटवार मण्डल रूपपुरा टोरडा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1113/296 रकबा 0.34 हैक्टर में से 0.0064 हैक्टर** में मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट-- "ए" व मौका पर्चा में वर्णितानुसार करावें। परिशिष्ट– "ए" व मौका पर्चा नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

यह आदेश आज दिनॉक 14.7.2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(मनोज, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:20:18 IST
Reason: SelfAttested